



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127661

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20635/2026

विवेक

.....आवेदक

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: राघवेंद्र प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष(पक्षों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के वकील श्री राघवेंद्र प्रकाश और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी गई। वकील श्री अभिषेक पांडे ने शिकायतकर्ता की ओर से वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता पर ले लिया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह ज़मानत अर्ज़ी मुकदमा अपराध संख्या 1034/2015 (पुलिस स्टेशन देवबंद, ज़िला सहारनपुर) में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दाखिल की गई है। यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 452, 323, 504, 506, 307, 302/34, 120-बी के तहत दर्ज है।

3. आवेदक के वकील का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है और कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि 25.12.2015 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक और सह-आरोपी रजनीश समेत आठ लोगों को नामज़द किया गया था। हालाँकि, ठीक से जाँच करने के बाद, जाँच अधिकारी ने आवेदक और सह-आरोपी रजनीश को बरी कर दिया और उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं की। जाँच अधिकारी ने अन्य सह-आरोपियों - अनुज, नत्थी, दुर्गेश, टिल्लू, संदीप और सुभाष के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की। ट्रायल के दौरान, विचारण न्यायालय के सामने पी.डब्ल्यू.-1 नरेश कुमार (पहले शिकायतकर्ता), पी.डब्ल्यू.-2 शेर सिंह (घायल गवाह), पी.डब्ल्यू.-3 रजत और दो औपचारिक गवाहों से पूछताछ की गई। तत्पश्चात प्रथम सूचना दाता ने धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और दिनांक 27.04.2018 के आदेश द्वारा आवेदक को विचारण का सामना करने हेतु तलब किया गया। उपर्युक्त समन आदेश दिनांक 27.04.2018 को आवेदक द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 19215 वर्ष 2018 प्रस्तुत कर चुनौती दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2018 के आदेश के माध्यम से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। हालाँकि, वह अर्ज़ी आखिरकार 27.11.2025 को खारिज कर दी गई। इसके बाद, आवेदक माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई थी, जिसे 16.03.2026 के आदेश के ज़रिए खारिज कर दिया गया। इसके बाद, आवेदक ने 28.03.2026 को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आगे यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक पर कुल्हाड़ी से चोट पहुँचाने का आरोप है; हालाँकि, मृतक के शरीर पर कुल्हाड़ी से लगी कोई चोट नहीं पाई गई। वकील ने आगे कहा कि अन्य सह-आरोपियों, यानी अनुज कुमार, संदीप, अभिषेक उर्फ नत्थी और दुर्गेश को इस कोर्ट की संबंधित बेंचों ने पहले ही ज़मानत दे दी है। उन्हें क्रमशः आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 13878/2016 (30.05.2016 के आदेश से), आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 21145/2016 (05.07.2016 के आदेश से) और आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 24503/2016 (23.02.2018 के आदेश से) में ज़मानत मिली है। ज़मानत अर्ज़ी में पेज 148 से आगे इन ज़मानत आदेशों की कॉपी लगाई गई हैं। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक और सह-आरोपी रजनीश, दोनों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाया गया था, और और सह-आरोपी रजनीश की ज़मानत अर्ज़ी को इस कोर्ट की संबंधित बेंच ने आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 15436/2026 में 27.05.2026 के आदेश से मंज़ूर कर लिया है। आवेदक का मामला भी सह-आरोपी रजनीश के मामले जैसा ही है। वकील ने आगे कहा कि आवेदक की निशानदेही पर कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। हालाँकि आवेदक को पहले एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसने इस कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की है और उस मामले में उसे ज़मानत मिल गई है। यह भी कहा गया है कि इस मामले में आवेदक से हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल पहले से ही चल रहा है, और आवेदक ट्रायल की कार्यवाही में सहयोग करने का भरोसा देता है। वकील का यह भी कहना है कि ज़मानत अर्ज़ी के पैरा नंबर 42 में आवेदक के आपराधिक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आवेदक 28.03.2026 से न्यायिक हिरासत में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत की अर्जी का विरोध किया। यह कहा गया कि आवेदक पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है और अपने पहले अपराध के बाद उसने फिर से यह अपराध किया है, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है; हालाँकि, वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी, यानी रजनीश को इस कोर्ट की एक अन्य बेंच ने जमानत दे दी है।

6. मैंने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखा है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी रजनीश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 28.3.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता/समझती हूँ।

8. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- **विवेक** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता /269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता /84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता /209 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विधिवत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा: (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करना। यदि ट्रायल कोर्ट की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर सकता है।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां, साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16 जून, 2026

फहद

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”